संख्या:51/2020/1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2020

विषय:-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु किये गये देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-293/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 02.06.2020 एवं पत्र संख्या-जी-287/दस-लाइसेंस-367/ सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 22.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आप द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत लाकडाउन संबंधी गाइडलाइन्स के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में खोली गयीं आबकारी दुकानों के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 से सांय 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निर्धारित है। दुकानों से बिक्री के समय में 25 प्रतिशत कमी की गयी है। मदिरा की फुटकर दुकाने माह-मई, 2020 में दिनांक 03.05.2020 तक पूर्णतया बंद रहीं हैं। कन्टेनमेंट जोन के बाहर की देशी मदिरा दुकानों को खोलने में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप खोलने में कतिपय जनपदों में स्थानीय कारणों से 2 से 3 दिन का विलम्ब भी हुआ है। कन्टेनमेंट जोन की देशी मदिरा की 501 दुकाने तथा विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की 709 दुकाने अद्यतन संचालित नहीं हैं। कई जनपदों में सामान्य दुकानों के खुलने का समय व मदिरा दुकानों के खुलने के समय में तालमेल नही होने के कारण भी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

3. उपरोक्त उल्लिखित विशेष परिस्थितियों के कारण फुटकर दुकानों में अनुज्ञापन शर्तो के अंतर्गत अनुमन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप दुकानें संचालित नहीं हो सकी। लाकडाउन के कारण सामान्य परिवहन, पर्यटन एवं मनोरंजन आदि की गतिविधियाँ समाप्तप्राय हो गयी हैं। उपरोक्त कारणों से मदिरा की बिक्री प्रभावित हुयी है, जिसके कारण कतिपय देशी मदिरा दुकानों द्वारा माह मई के निर्धारित एम.जी.क्यू.का उठान नहीं किया गया है तथा विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडलशाप्स द्वारा माह मई हेतु गत वर्ष के राजस्व के समतुल्य की निकासी नहीं ली जा सकी है जिससे गत वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने में कठिनाईयां दृष्टिगोचर हुयी है। गत वर्ष के संगत त्रैमास के बराबर राजस्व के समतुल्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निकासी लिये जाने में विलम्ब की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय बार प्रशमन तथा तृतीय बार अनुज्ञापन निरस्तीकरण किये जाने का प्राविधान है। जो देशी मदिरा दुकानें माह-मई के एम.जी.क्यू. को उठाने में असफल रहीं उन्हें मासिक एम.जी.क्यू. उठाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति में दुकानों को निरस्त करते हुये उनका पुनर्व्यस्थापन कराना होगा जो राजस्वहित में उचित न होगा तथा विधिक विवादों की स्थितियॉ भी उत्पन्न होंगी। लाक डाउन खुलने के 2 दिनों तक मदिरा की बिक्री संतोषजनक रही परन्तु उपरोक्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री गत वर्षो के औसत की तुलना में काफी कम हो रही है। बहुत कम बिक्री होने के परिणाम स्वरूप नुकसान होने के कारण 740 देशी मदिरा दुकानों, विदेशी मदिरा, बीयर के 450 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा एवं 22 माडल शाप के अनुज्ञापियों द्वारा लाकडाउन की अवधि में लाइसेंस फीस एवं कोटा में छूट न देने की स्थिति में अपना लाइसेंस सरेंडर करने संबंधी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त आबकारी नीति 2020-21 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में दुकानों के व्यवस्थापन, नये ब्राण्डों के पंजीकरण, बार एवं माइक्रोब्रिवरी पर संचित गत वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टॉक की बिक्री, विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों की वार्षिक लाइसेंस फीस का निर्धारण, बिलोग्रेड शीरे को क्रय करने के प्रतिबन्ध को समाप्त करने तथा हैण्ड सैनेटाइजर के उत्पादन, निर्यात को प्राथमिकता देने एवं इस हेतु अल्कोहल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंध में आने वाली कठिनाईयों को इंगित करते हुए उनके निवारण का अनुरोध भी किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) (i) देशी मदिरा फुटकर दुकानें जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रहीं उन्हें माह मई हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को उठाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(ii) शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में संचालित करायी गयीं ऐसी देशी मदिरा दुकानों, जो माह मई, 2020 के एम.जी.क्यू. को नहीं उठा सकीं, को कम उठाई गयी मात्रा से छूट प्रदान की जाती है।

(2) (i) विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और माडल शाप्स जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रहीं उनको माह मई हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(ii) शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में संचालित करायी गयीं ऐसी विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और माडल शाप्स जो माह मई, 2020 के निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ले सकीं उन दुकानों को कम उठाई गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से छूट प्रदान की जाती है।

(3) (i) देश से बाहर के प्रकरणों में लाक डाउन के पूर्व निर्गत पासों/परमिटों की वैधता लाक डाउन की समाप्ति से 60 दिवस तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही लाक डाउन के पूर्व निर्गत पासों/परमिटों की वैधता अवधि अनुरोध किये जाने पर प्रदेश के बाहर के प्रकरणों में 30 जून, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) परिवहन पासों के सत्यापित होकर प्राप्त होने हेतु 90 दिवस की अवधि की गणना में लाकडाउन अवधि को सम्मिलित नहीं किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(4) सभी इच्छुक व्यवसायियों को समान अवसर प्रदान करने एवं प्रदेश की भौगोलिक विशालता की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि समुद्रपार आयातित मदिरा के एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर द्वारा प्रति ब्राण्ड हेतु प्रदेश में अधिकृत किये जाने वाली इकाइयों की अधिकतम संख्या का प्राविधान समाप्त किया जाता है।

(5) वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा के नये ब्राण्डों के पंजीकरण हेतु ट्रेडमार्क पंजीकरण की अनिवार्यता से 3 माह की छूट प्रदान की जाती है।

(6) व्यवस्थापन एवं राजस्व हित में ई-लाटरी प्रक्रिया को आबकारी आयुक्त द्वारा जनपदवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित कराये जाने तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत् जिला स्तर पर लाटरी प्रक्रिया को देखने हेतु वेब कास्टिंग आदि की समुचित तकनीकी व्यवस्था का विकल्प प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(7) वाइन पर अधिरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	पुनर्निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में)
1	2	3	4	5
1	वाईन	500 एम.एल. तक	50/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम (4)
		500 एम.एल. से अधिक	100/	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+कालम (4)

(8) मासिक एम.जी.क्यू. को उठाने अथवा त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता का पालन न करने की दशा में की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही हेतु राजस्व के आगणन में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06.05.2020 द्वारा आरोपित विशेष अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क को भी अतिरिक्त प्रतिफलशुल्क का अंश मानते हुये सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(9) (i) समस्त बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रोब्रिवरी जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं पर उपलब्ध वर्ष 2019-20 के अवशेष स्टाक की 15 दिवस तक बिना रोलओवर शुल्क जमा किये बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिफलशुल्क के अंतर की धनराशि एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करने के पश्चात बार अनुज्ञापन से सील्ड बोतलों में निर्धारित एम.आर.पी. पर एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों द्वारा फर्मेंटेशन टैंक एवं ब्राइट बियर टैंक (बी.बी.टी.) में संचित बीयर की भू-गृहादि के बाहर उपभोग हेतु टेक अवे बिक्री की अनुमति होगी। आबकारी फुटकर दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित सोशल डिस्टैंसिंग के प्रतिबंध लागू होंगे। यह अनुमति जिला

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशासन द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल्स आदि के संचालन हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) बार अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक को बार अनुज्ञापी द्वारा फुटकर अनुज्ञापनों पर आपसी सहमति से विक्रय हेतु स्थानांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iii) माइक्रोब्रिवरी से बिक्री प्रारम्भ करने के पूर्व माइक्रोब्रिवरी मे नियुक्त केमिस्ट द्वारा स्टाक में उपलब्ध बियर के मानव उपभोग हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iv) यह अनुमति बार हेतु लाकडाउन की समाप्ति की तिथि अथवा स्टाक की समाप्ति जो पहले हो, तक के लिये की जाती है।

(10) उत्तर प्रदेश (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली 2020 के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 12 लाख निर्धारित की जाती है।

(11) सम्बंधित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों (जिनको आबकारी विभाग के सक्षम स्तर से शीरा क्रय-विक्रय की अनुमति प्राप्त हो तथा जिनकी संचय क्षमता अनुमोदित हो) एवं निर्यातकों को 500 कुं0 तक बिलोग्रेड/जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाता है। पंजीकृत ट्रेडरों हेतु शीरा के परिवहन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने संबंधी दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(12) (i) हैण्ड सैनिटाइजर उत्पादन जान माल की सुरक्षा, राजस्व एवं रोजगार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण एथेनाल ब्लेंडिग प्रोग्राम के साथ-साथ सैनिटाइजर के उत्पादन को भी प्राथमिकता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ii) सैनिटाइजर के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iii) सैनिटाइजर उत्पादन हेतु अल्कोहल की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:51/2020/1359(1) ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।